



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 460 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2022

संख्या-03/मुकदमा-04-06/2020 का. 5474--श्री बिजय कुमार झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-18/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा विभागीय अधिसूचना सं० 4040 दिनांक 27.05.2019 को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदान वैचारिक रूप प्रोन्नति का वित्तीय लाभ हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.944/2020, बिजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 25.01.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

“7. Having heard the learned counsel for the parties, the Court finds that on earlier occasion also A.C.Rs of the petitioner was not sent to the D.P.C. that is why promotion has been denied. Now in the present case also, consequential benefit has not been provided to the petitioner which is against the judgment passed by this Court in the case of **"Suryadeo Prasad" (supra)**. The facts of the present case are fully covered with the facts of the aforesaid judgment.

8. In view of the above facts, the writ petition succeeds and accordingly, the same stands allowed. The respondents are directed to release consequential benefits to the petitioner with effect from notional promotion granted to the petitioner.

9. Accordingly, the writ petition stands allowed and disposed of."

2. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA संख्या 218/2021 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम बिजय कुमार दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 17.02.2022 को पारित न्यायादेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA को Dismiss कर दिया गया।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक 15.06.2015 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत थी। समिति द्वारा उक्त बैठक में मूल कोटि के अन्य पदाधिकारियों के साथ श्री बिजय कुमार की प्रोन्नति के संबंध में भी विचार किया गया। समिति द्वारा याचिकाकर्त्ता के संबंध में "अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में" की अनुशंसा की गई।

4. श्री बिजय कुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई। याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध दायर कुडु थाना कांड सं० 62/2012 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा द्वारा दिनांक 08.06.2015 को पारित न्यायादेश द्वारा इन्हें आरोप मुक्त किया गया। आरोप मुक्त होने संबंधी सूचना तत्समय प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 15.06.2015 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई।

5. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 584/2018 (कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर था। इस वाद में श्री बिजय कुमार भी याचिकाकर्त्ता हैं। W.P.(S) No. 584/2018 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 को पारित माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री बिजय कुमार सहित झा०प्र०से० के मूल कोटि अन्य पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक 14.02.2019, दिनांक 13.03.2019, दिनांक 22.04.2019 एवं दिनांक 14.05.2019 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत थी।

6. विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री बिजय कुमार के संबंध में निम्नवत् अनुशंसा की गई:-

"दिनांक 15.06.2015 को विभागीय प्रोन्नति समिति की मुहरबंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा के आधार पर उनके कनीय को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से तदर्थ प्रोन्नति के योग्य"

7. समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई की झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

8. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं 4040 दिनांक 27.05.2019 द्वारा श्री बिजय कुमार को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई ।

9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में W.P.(S) No.944/2020, बिजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0- 2074/वि(2), दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए श्री बिजय कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 4040 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान- PB-III 15600-39100 ग्रेड-पे 6600) में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

10. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 5265 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.08.2022 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 21 में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
